24.04.17

वादी द्वारा पुकार लगाये जाने पर सांय 4:30 बजे तक कोई उपस्थित नहीं।

नहा। प्रतिवादी क्रमांक ४,५,६ एकपक्षीय।

प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 व 7 लगायत 10 की ओर से पुकार लगाये जाने पर सांय 4:30 बजे तक कोई उपस्थित नहीं।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु नियत है। वादी साक्ष्य अनुपस्थित। वादी साक्ष्य हेतु आज अंतिम अवसर दिया गया है परन्तु पांच से अधिक अवसर होने के बाद भी वादी की साक्ष्य अथवा वादी अनुपस्थित है। अतः आदेश 17 नियम 3,2 सीपीसी के अधीन अग्रेषित होते हुए आदेश 9 नियम 3 सीपीसी के अधीन वाद वादी व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में निरस्त

किया जाता है। जमयपक्ष अपना व्यय स्वयं वहन् करेंगें जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार जोड़ा जाये।

🔌 व्यय तालिका बनाई जाये।

प्रकरण परिणाम अंकित कर अभिलेखागार भेजा जाये।

ता ज.

ग/—
वश गर्ग
.जे.—2.,गोहद